B-344
L-50
Polity

- न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका के रूप में कार्य नही कर रही है अपितु विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों पर नियंत्रण और संतुलन स्थापित करती है और न्यायपालिका यह मानने को तैयार नही है कि वह सक्रिय है।

न्यायिक सक्रियता का भारतीय लोकतंत्र पर प्रभाव :

- न्यायिक सक्रियता एक विवादस्पद शब्द है लेकिन यह वास्तविक तथ्य है कि न्यायपालिका की भूमिका सक्रिय और गतिशील रही है जो वर्ष 1990 के बाद गठबंधन सरकारो के दौर में ज्यादा प्रभावशाली बन गयी थी।

लोकतंत्र के लिए इसके सकारात्मक परिणाम निम्नलिखित हैं–

(i) भ्रष्टाचार और राजनीति में अपराधीकरण पर नियंत्रण स्थापित हुआ है।

(ii) चुनाव सुधार को गति प्राप्त हुई है और नेता (NOTA) इलेक्ट्रोरल बोन्ड के मुद्दे पर न्यायपालिका के द्वारा मतदाताओं को शक्ति प्रदान की गयी है।

(iii) न्यायालय के निर्णयों से प्रशासनिक सुधार भी सुनिश्चित हुआ है (प्रकाश सिंह वाद (UP(DGP))

(iv) मूल अधिकारो का अत्याधिक विस्तार किया

गया जिसमें निजता का अधिकार भी शामिल है।

न्यायिक सक्रियता के नकारात्मक परिणाम:-

- न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच विवाद के कारण न्यायिक नियुक्तियों में विलंब हो रहे हैं जिससे निर्णय भी लंबित हो रहे हैं।

- न्यायपालिका को किसी भी निर्णय के लिए प्रशासनिक और वित्तीयपत्र की जानकारी नहीं होती। जिसमें हस्तक्षेप से सरकार के संचालन में कठिनाई आती है

- न्यायपालिका के नीति निर्माण के कार्यों में हस्तक्षेप से निवेश पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जैसे- नर्मदा डेम बांध।

निष्कर्ष:-

- मूल अधिकारों के विस्तार के मामले में न्यायिक सक्रियता को सकारात्मक मानना चाहिए जबकि अन्य क्षेत्रों में न्यायपालिका के हस्तक्षेप न्यूनतम और सीमित होने चाहिए। न्यायपालिका का कार्य सरकार को चेतावनी देना है। सरकार चलाना नहीं।

KGS IAS
GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

उच्च न्यायालय

(i) मूल अधिकारों की रक्षा करता है।

(ii) संविधान की व्याख्या करेगा

न्यायिक पुनरावलोकन करेगा
- राज्य विधान सभा की समीक्षा करेगा
- संसदीय विधि की समीक्षा करेगा
- अध्यादेश की समीक्षा करेगा

रिट अधिकारिता

अनुच्छेद-226
- मूल अधिकारों की रक्षा करेगा
- अन्य अधिकार की भी रक्षा करेगा (संपत्ति)

कोई भी अपराधिक मामला
→ अपील के माध्यम से उच्च न्यायालय में जायेगा।

सिविल मामले
→ उच्च न्यायालय में सीधे लाये जा सकते हैं।

अधीक्षण की शक्ति है → जनपद न्यायालय पर सीधे नजर रखता है।

उच्चतम न्यायालय के पास नही होती
→ जनपद न्यायालय पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा :-

- अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का आधार पहले से ही संविधान में उल्लेखित है। (अनुच्छेद 312)
- अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के निर्माण के लिए निम्नलिखित तर्क दिये जा सकते हैं। —

(i) इनकी आरंभिक नियुक्ति जनपद स्तर पर होगी। जिन्हें प्रोन्नति / पदोन्नति के द्वारा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय भेजा जायेगा। जिससे जनपद न्यायालय की कार्यप्रणाली कुशल होगी।

(ii) समूचे भारत में न्यायिक एकरूपता स्थापित होगी।

(iii) उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में भी न्यायाधीशों पर चलने वाले विवाद हल हो जायेगी।

(iv) जनपद न्यायालयों के समक्ष लगभग 4.5 करोड़ मामले लंबित हैं और जनपद न्यायालय की कुशलता संभावित बेहतर होगी।

चुनौतियां :-

(i) अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं की नियुक्ति में राज्यों की शक्ति कम होगी क्योंकि नियुक्ति का अधिकार संघ लोक सेवा आयोग

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN

के द्वारा होगा।

(ii) राज्यों के द्वारा पहले से ही अखिल भारतीय सेवा को राज्यों के स्वायत्तता के प्रतिकूल कहा जाता रहा है क्योंकि संघ सरकार के द्वारा इनके दुरूपयोग होते रहे हैं।

(iii) अखिल भारतीय सैनिक स्थानीय भाषा में प्रशिक्षित नही होते।

निष्कर्ष :-

- सिविल सेवक और न्यायधीश तटस्थ और निष्पक्ष होते हैं इसलिए इससे राज्यों की शक्ति कम नही होगी अपितु संघ और राज्य के बीच सहयोग में वृद्धि होगी और न्यायालय की कुशलता और गुणवत्ता भी बढ़ेगी।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
KHAN SIR

परम्परागत न्यायालय के समक्ष विद्यमान चुनौतियां (HC, SC, DC)

(i) न्याय प्रणाली में न्याय से बड़ी और भी महत्वपूर्ण प्रक्रिया बन गयी।

(ii) भारतीय न्याय प्रणाली अपने स्वभाव में भारतीय प्रतीत नही होती क्योंकि न्यायालयों में बहुतायत अंग्रेजी का प्रयोग होता है और समूची प्रक्रिया भी यूरोपीय व्यवस्था पर आधारित है।

(iii) न्यायिक प्रणाली लंबित है जहाँ निर्णय आने में दशकों लग जाते हैं। भाषा जटिल और प्रक्रिया औपचारिक है तथा न्याय प्रणाली अत्यधिक महंगी है जो आम जनता की पहुँच से अत्यधिक दूर है।

समाधान- लोक अदालत :-

- 1980 के दशक में भारतीय न्यायप्रणाली को जन केन्द्रित बनाने के लिए जनहित याचिका आरंभ की गई और लोक अदालतों का गठन किया गया। व्यवहारिक रूप में लोक अदालतों की शुरुआत गुजरात से हुई लेकिन 1987 में इसे वैधानिक अधिकार दिया गया।
- इसे वैधानिक सेवा का राष्ट्रीय अधिकारिता अधिनियम कहा जाता है। (NALSA)

NALSA के दो आयाम हैं :-

(A) परम्परागत न्यायालयों में निःशुल्क और वैधानिक सहायता उपलब्ध कराना। जो सिविल अथवा अपराधिक किसी भी मामले में हो सकता है और जिस व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है अथवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

है उसे उच्चतम न्यायालय में निःशुल्क वैधानिक सुविधा दी जायेगी।

- राज्यों के लिए आर्थिक आधार का निर्धारण प्रत्येक उच्च न्यायालय में अलग-अलग है।

(B) लोक अदालतों का गठन उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश लोक अदालतों मुख्य संरक्षक होता है जबकि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्य के लोक अदालतों का मुखिया होता है।

- लोक अदालते सिविल या दीवानी मामलों के लिए गठित होती है।

- लोक अदालतों के निर्णय से अपील का कोई प्रावधान नही है क्योंकि लोक अदालतों के समक्ष कोई भी वाद लाने के लिए दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक है।

- उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या जनपद न्यायालय तीनों लोक अदालत के रूप में कार्य करते हैं जब इनमें प्रक्रिया के बजाय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को अपनाया जाता है।

- वकील और फीस की आवश्यकता नही होती।

- अधिनियम में वर्ष 2002 में संशोधन

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

करके स्थायी लोक अदालतों का भी प्रावधान किया गया जिनका मुख्य गठन जनपद स्तर पर होता है।

- समय - समय पर राष्ट्रीय लोक कार्यक्रम का आयोजन होता है जिस दिन सभी अदालते लोक अदालत के रूप में कार्य करती है।

आधिकरण :-

- भारत में समाज की आधुनिकता तथा विवादों की बढ़ती जटिलता के कारण तथा न्याय के लिए त्वरित रूप में प्रदान करने के लिए आधिकरणों के गठन का प्रावधान किया गया।
- 'न्याय में समय के साथ विशेषज्ञता स्थापित करने की भी आवश्यकता है इसलिए प्रत्येक विवाद परंपरागत न्यायालय नहीं हल कर पायेगा।

आधिकरणों का आधिकार संवैधानिक है क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 323 (A) तथा 323 (B) जोड़ा गया। जिसे प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1985 में संसदीय विधि का भी निर्माण किया गया।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES KHAN SIR